

पत्रांक-10/14-42/07 मा०— ——/
मानव संतोष विकास विभाग, बिहार।

प्रेषण,

कमीशपर प्रताद लिंद,
निष्ठाका मा० वि०, बिहार।

सेपार्मे०

श्री अर्जुन गाँगुली,
अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक विद्या बोर्ड,
विद्या केन्द्र 2, कम्पुनिटी टैन्टर,
नई दिल्ली - 110092

पटना, दिनांक-

किया:- मैथा रकेडमी, औरंगाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र के तंत्रमें।
महाराष्ट्र,

उपरोक्त किये के तंत्रमें निष्ठानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिकृत तिथा 23 दिनांक-03-04-2006 के आजीक भै जिए विद्या पदाधिकारी, औरंगाबाद तै प्राप्त जौंच प्रतिवेदन रवं विद्यालय प्रबंध के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की सभी विद्या अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गयी तथा मैथा रकेडमी, औरंगाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक विद्या बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते को अनुसूचा की गयी है। समिति की अनुसूचा के आजीक भै सभी विद्यालयों तिथित निम्नपत्र हैः—

1. विद्यालय का तंत्रालय निर्बोध जगराज रजुकेन्द्र द्वारा समीक्षीयोंको औरंगाबाद द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निर्बोध द्वारा भै एक परिवार का प्रभुत्व न होते का प्रमाण-पत्र तामर्गत किया है। द्वारा के सदस्यों की सूची दी गयी है, सभी का पैश तो बताया गया है, किन्तु कोई साश्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसी पास्ताधिक व्यक्ताय का पता नहीं चलता है। शर्त के अनुस्य विद्यालय द्वारा के प्रत्येक सदस्य के पास्ताधिक पैश को स्पष्ट करना चाहिए। सदस्यों की सूची नीलगन है।

2. विद्यालय ने किसी निर्बोध तौताइटी/न्यास के फ्रेन्चाइजी अका किसी विद्यालय के लिए नैम उपयोग नहीं करते का दावा किया है।

3. विद्यालय को निर्बोध के माध्यम से 2 रक्कड़। जिसमील भूमि 30 क्मी के लीज पर उपलब्ध है, जिसपर विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है। वर्तमान भै विद्यालय निःशुल्क मकान भै चल रहा है। केन्द्रीय माध्यमिक विद्या बोर्ड को

को स्थान निरीक्षण कर यह तुमनि विचत करना होगा कि पिद्यालय की आधारभूत तरीकों सर्वे तुम्हारे बीड़ के मानक के अनुस्तुत है ।

५. पिद्यालय में विक्षणों की नियुक्ति तभाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विद्वित प्रशिक्षा द्वारा करने का दावा किया गया है तथा विक्षणों की नियुक्ति विद्वित प्रशिक्षा के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्षय नहीं दिया गया है, जिसे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विद्वित प्रशिक्षा का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो । केन्द्रीय माध्यमिक विक्षण बीड़, नहीं दिल्ली को यह तुमनि विचत करना होगा कि विक्षणों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक विक्षण परिषद के मापदण्डों के अनुसार है ।

६. पिद्यालय में हिन्दी अनिवार्य स्तर से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है ।

७. पिद्यालय द्वारा निर्धारित एकलों, पार्टिकलेक्य और्केशन तथा पार्टिकल प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आवासन दिया गया है । पिद्यालय अपने आवासन के अनुस्तुत कार्यवाही के द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक विक्षण बीड़, नहीं दिल्ली को तुमनि विचत करना होगा ।

८. पिद्यालय के द्वारा विज्ञान से तो सहमति दी गयी है कि उसे पिछली अधिकायना तिथि-२३ दिनांक-३-४-२००६ में उल्लेखित ओर्डिनेशन स्वीकार है । ओर्डिनेशन स्वीकार:-

॥।।। पिद्यालय में स्थानीय नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःधुलुक किया जायेगा तथा उनके द्यूमस एकल अभ्यास किसी अन्य प्रबल का एकल नहीं किया जायेगा । ऐसे बच्चों की ओर से उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यार्थिय, विकलांग, बालिकाएँ तथा सामान्य लोगों के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-स्पष्ट प्रतिवर्ष होती है ।

॥॥॥ पिद्यालय भै नरीको/लौजीर अध्यक्षा प्राथमिक वक्ता भै नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/शास्त्रात्मका बच्चों सर्वे माता/पिता सहित नहीं किया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित समय से अधिक दो तो तीन तरीका है । प्रथम को माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का घटन किया जायेगा ।

1111। नर्सरी/कोडीतथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रयोग लेने वाले बच्चों का विद्यालय तो आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर रुपैये उच्च प्राथमिक रुपैये माध्यमिक कक्षा भै नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ३ किलोमीटर तक रहेगी ।

11. 1/1 जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन गुल्मी की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लीदाने की व्यवस्था होगी ।

8. यद्यपि इस विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी फँट्रीय माध्यमिक विकास बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर पर जूँच कर यह तुनिविचत हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह तुनिविचत करना होगा कि सर्वेक्षित विद्यालयों के द्वारा अपनी गडमति के अनुसार अनिवार्य रुपैये अधिकारी गत्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह गत्तों सार्वजनिक करना होगा तथा क्षाका उल्लेख प्रोत्पेक्षण रुपैये वैष्टाङ्क भै करना होगा ।

10. फँट्रीय माध्यमिक विकास बोर्ड, नई दिल्ली को यह भी तुनिविचत करना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिगाधीन न्यायालैंड के जालीक भै स्कूल किसी शैतानी नाम का उपयोग नहीं करे जिसी भै उत्पन्न होता हो ।

11. गत्तों के उल्लेख की स्थिति भै राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द करते की कार्रवाई की जायेगी ।

12. विभागीय पत्रांक-46 दिनांक-18-1-2008 द्वारा विकास/जात्रों हें गारीरिक काड नहीं दिए जाने तष्ठी आदेशों का विद्यालय द्वारा पान करना होगा ।

13. विद्यालय विभार सरकार के विकास विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी सम्म सुना रहेगा ।

१५ उपरोक्त तथ्यों के आलौक में सर्व परिषत राज्यों के आधार पर
मैत्री सेक्टरी, औरंगाबाद की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नव्व दिल्ली ते
तम्बता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

विद्यासभाजन,

८०/-

। कमलवर प्रसाद सिंह ।
निषेक माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

शापांक ३४२, पटना, दिनांक २८/३/०४

प्रतिलिपि - मैत्री सेक्टरी, औरंगाबाद को सूचनार्थी सर्व आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित ।

२८/३/०४

। कमलवर प्रसाद सिंह ।
निषेक माध्यमिक शिक्षा, बिहार ।

२८/३/०४